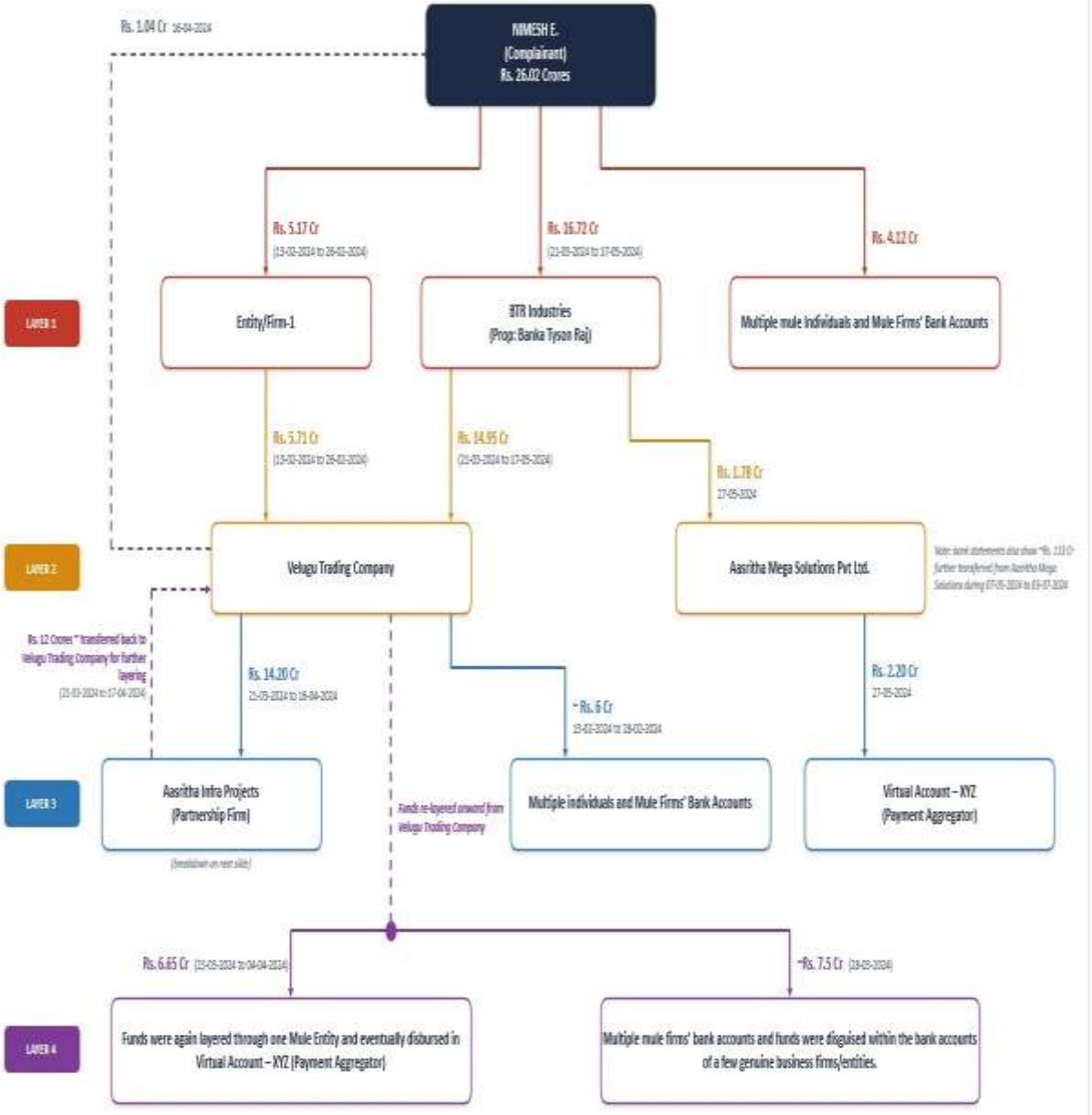
प्रेस विज्ञप्ति
30.10.2026

प्रवर्तन निदेशालय के कोच्चि ज़ोनल कार्यालय ने 'धन शोधन निवारण अधिनियम' (PMLA), 2002 के तहत 28-10-2026 को हैदराबाद में 3 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। ये तलाशी अल्लामराजू सत्यनारायण मूर्ति से जुड़ी जगहों पर की गई, और यह कार्रवाई एर्नाकुलम में दर्ज एक साइबर धोखाधड़ी के मामले के सिलसिले में की गई थी।

एर्नाकुलम के साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू की। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, निमेश नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया कि आरोपियों ने टेलीग्राम ऐप के जरिए फोन कॉल और चैट मैसेज के माध्यम से उसे ज्यादा रिटर्न का लालच देकर निवेश करने के लिए उकसाया। शिकायतकर्ता को बताया गया था कि www.capitalix.com वेबसाइट के जरिए ट्रेडिंग करने पर उसे भारी रिटर्न मिलेगा। इस प्रकार, आरोपी ने शिकायतकर्ता को धोखा देकर उससे कुल 24,76,21,042 रुपये की रकम कई किश्तों में अपने या अपने नियंत्रण वाले विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर करवा ली। इसके बाद, आरोपी ने न तो वादा किया गया मुनाफा लौटाया और न ही मूल रकम वापस की। इस तरह उसने धोखाधड़ी और विश्वासघात किया, जिससे शिकायतकर्ता को गलत तरीके से नुकसान उठाना पड़ा।

जांच से पता चला है कि 23.05.2023 से 27.05.2024 के बीच शिकायतकर्ता के साथ 26,02,89,261.57 रुपये की धोखाधड़ी की गई। पैसे मिलने के बाद, इस रकम को आरोपियों द्वारा संचालित अलग-अलग 'म्यूल अकाउंट्स' में ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसा जानबूझकर किया गया था ताकि फंड के स्रोत का पता न चल सके। जांच में यह भी सामने आया कि अल्लामराजू सत्यनारायण मूर्ति ने अपने परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों के नाम पर कई कंपनियां बनाई थीं, जिनका इस्तेमाल फंड को इधर-उधर घुमाने (लेयरिंग करने) के लिए किया गया।

इन इकाइयों में मेसर्स बीटीआर इंडस्ट्रीज, मेसर्स. वेलुगु ट्रेडिंग कंपनी, आश्रिता मेगा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स आश्रिता इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और आश्रिता इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। आगे यह भी पता चला कि हैदराबाद में एक विला प्रोजेक्ट, आश्रिता इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और आश्रिता इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से शुरू किया गया था। आरोपी ने अपराध से प्राप्त धन का इस्तेमाल करके कई अचल संपत्तियां खरीदी हैं। जांच के दौरान सामने आया पैसों का लेन-देन इस प्रकार है:



तलाशी के दौरान, दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों के रूप में दोषी साबित करने वाले सबूत जब्त किए गए हैं। 6.40 लाख रुपये नकद जब्त किए गए हैं और आरोपी से जुड़े 11 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है, जिनमें कुल 14 लाख रुपये जमा थे। इसके अलावा, आरोपी की लगभग 5 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों (प्लॉट और विला) की भी पहचान की गई है।

आगे की जांच चल रही है।